Dainik Bhaskar, Delhi, 01/10/2025
Page No: 6, Size: 14.21cm × 11.56cm

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट...

मप्र के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे बिना मंजूरी पढ़ रहे कुरान-हदीस, धर्मांतरण की शिकायत

विशेष संवाददाता | भोपाल

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के कई मदरसों में कथित धर्मांतरण की शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजकर 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

आयोग को मिली शिकायत में आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को दाखिल कर कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह एक संगठित धर्मांतरण रैकेट है, जिसमें बच्चों को बिना अनुमति मदरसों में भेजा जा रहा है। इनमें मुरैना के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ और अन्य जगहों के मदरसे शामिल बताए गए हैं।

भास्कर इनसाइट

यहां हिंदू बच्चों को कैसे मिल रहा दाखिला : आयोग

- शिकायत में कहा गया है कि इन मदरसों को किसी तरह की सरकारी मंजूरी नहीं है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015, संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मप्र सरकार के 16 अगस्त 2024 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में साफ कहा गया था कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जा सकता।
- आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि संविधान की धाराएं 21(ए) के अंतर्गत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। मदरसे स्कूल श्रेणी में न आने पर, हिन्दू बच्चों का वहां प्रवेश कैसे मिल रहा, यह गंभीर सवाल है।
- आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों से बच्चों को हटाया जाए; संचालकों पर एफआईआर दर्ज हो और पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। शिकायत में विदेशी फंडिंग एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का संदेह जताया गया है।

Hindustan Times, Chandigarh, 01/10/2025
Page No: 4, Size: 23.60cm × 14.71cm

{ HOSHIARPUR }

NHRC notice to Punjab govt on status of LPG tanker blast probe

Harpreet Kaur
letterschd@hindustantimes.com

HOSHIARPUR: Taking suo motu cognizance of the report published in Hindustan Times about the delay in the investigation of the LPG tanker blast at Hoshiarpur's Mandiala village that claimed seven lives and damaged property on August 22, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notices to the Punjab chief secretary, chief controller of explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), ministry of commerce and industry, and the senior superintendent of police, calling for a detailed report, including the status of investigation, within two weeks.

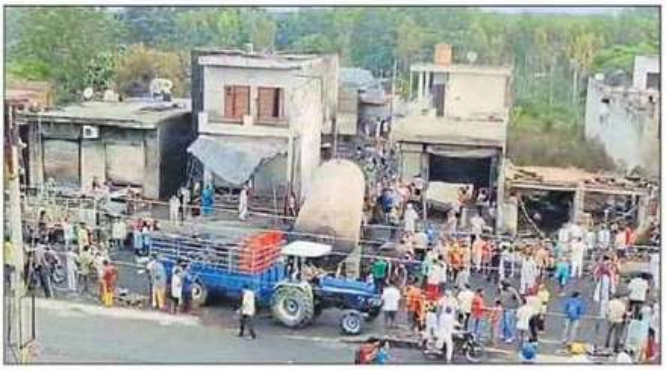

An LPG tanker collided with a pickup truck and triggered a blast, killing seven people on August 22. FILE

The NHRC has observed that the contents of the report raised serious issues of violation of human rights of the victims. The report had mentioned that the inquiries into the incident were still incomplete and assessment of the damage to the property has still not been done even after a month of the tragedy when the blast victims and their families were struggling to resurrect their lives.

The incident had occurred on the night of August 22 when an LPG tanker collided with a pickup truck and triggered a blast that engulfed shops and houses. Two persons had died on the spot, while five others succumbed later. Sixteen persons had sustained burns.

A magisterial probe was ordered but it could not make any headway as the PESO authorities, whose involvement was necessary for the probe, had not responded.

Hari Bhoomi, Bhopal, 01/10/2025
Page No: 14, Size: 18.10cm × 17.94cm

मध्यप्रदेश के 27 मदरसों की शिकायत एनएचआरसी तक पहुंची, जांच के निर्देश

मदरसों में धर्मांतरण और गैर-मुस्लिम बच्चों की भर्ती के आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

प्रदेश में एक बार फिर मदरसों में कथित धर्मांतरण और गैर-मुस्लिम बच्चों के अवैध दाखिले का मामला उठा है। मामले में शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) तक पहुंची है। जिसके बाद आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही 15 के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। जानकारी के अनुसार, आयोग तक पहुंची शिकायत में आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 27 अवैध मदरसों में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों को दाखिल कर कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है। इनमें मुरैना जिले के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ समेत अन्य इलाकों के मदरसे शामिल बताए गए हैं। जिसके बाद आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं।

आयोग ने मदरसों के लिए निर्देश दिए हैं कि बच्चों को तत्काल मदरसों से हटाया जाए। संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जाए। पूरे नेटवर्क की जांच कर विदेशी फंडिंग एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की सच्चाई सामने लाई जाए। शिकायत में 556 हिंदू बच्चों का जिक्र है, जिन्हें कथित रूप से अवैध तरीके से मदरसों में दाखिला दिया गया। आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि संविधान की धारा 21(ए) हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है। मदरसे श्रेणी में न आने पर हिंदू बच्चों का वहां प्रवेश गंभीर सवाल खड़ा करता है।

स्कूल शिक्षा मंत्री बोले

मामले पर मीडिया से चर्चा के दौरान स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डीईओ और पूरा अमला जांच करे। जिन मदरसों में धर्मांतरण या नियम उल्लंघन की गतिविधियां पाई जाएंगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जो भी संस्थान नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे बंद कराया जाएगा।

Punjab Kesari, Jalandhar, 01/10/2025
Page No: 2, Size: 8.31cm × 12.22cm

भाजपा विधायक रामेश्वर बोले

धर्मांतरण कराने वाले मदरसों पर लगेगा ताला

भोपाल, 30 सितम्बर (वार्ता) : मध्यप्रदेश में मदरसों के जरिए धर्मांतरण की शिकायतों को लेकर भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऐसे किसी भी मदरसे को संचालित नहीं होने दिया जाएगा, जो सनातन, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं। ऐसे मदरसों पर सरकार द्वारा ताले लगवा दिए जाएंगे।

रामेश्वर ने बताया कि सरकार ने संबंधित कलैक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची शिकायतों पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन मुल्ला या मौलवी है, इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

NDTV

Rights Body Seeks Report In Alleged Conversion Case In Madhya Pradesh

The key allegation is that Hindu minors are being compelled to study religious texts without parental consent or state approval.

https://www.ndtv.com/india-news/rights-body-seeks-report-in-alleged-conversion-case-in-madhya-pradesh-9370661

Reported by: Anurag Dwary, India News | Sep 30, 2025 15:13 pm IST

Published OnSep 30, 2025 15:13 pm IST

Last Updated OnSep 30, 2025 15:13 pm IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging illegal religious conversion activities in several madrasas across Madhya Pradesh. The complaint claims that 556 Hindu children are being targeted for conversion by being enrolled in 27 unauthorised madrasas operating in Morena and adjoining districts.

According to the complaint, these madrasas are teaching the Quran and Hadith to Hindu minors without government authorisation, allegedly violating the Juvenile Justice Act, 2015, Article 28(3) of the Constitution, and a state government order issued on June 15, 2015.

The complainant further alleged that the alleged conversion racket may be linked to illegal foreign funding and "anti-national" elements.

Taking note of the matter, the NHRC has directed the Principal Secretary of School Education to submit an action-taken report within 15 days.

The complaint mentions madrasas located in Islampura, Jaura, Porsa, Ambah, Kailaras, Sabalgarh, and other parts of Morena district. The key allegation is that Hindu minors are being compelled to study religious texts without parental consent or state approval.

Reacting to the development, BJP MLA Rameshwar Sharma said that strict measures would be taken. "Forcing someone to learn about another religion and inviting them to madrasas for such teaching is not justified. The government and the Education Department will act strictly, and madrasas where Hindu, Jain, Buddhist, or Sikh children are taught Islam will be locked. This will not be tolerated," Sharma said.

He added that the state government must ensure inspections by District Education Officers and Collectors to determine which institutions are operating without recognition, who is teaching, and whether inducements or coercion are being used.

Meanwhile, senior Congress leader and former Law Minister PC Sharma blamed the government for the situation. "If Hindu children are studying in madrasas, what is the Education Department doing? The government makes laws against love jihad and religious conversion, but what about enforcement? This is just event management. Officials are not doing their duty, and the BJP only divides society on the basis of religion and caste for votes," Sharma said.

According to official figures, Madhya Pradesh has 1,505 government-recognised madrasas where 9,417 non-Muslim children also study. The new allegations pertain to unrecognised institutions reportedly functioning without legal sanction.

The NHRC's directive now puts the spotlight on the state Education Department, which is expected to clarify how unauthorised madrasas are operating and whether children are being compelled to participate in religious instruction.

IANS Live

Madrasas promoting conversions will not be allowed to operate in MP, says BJP as NHRC launches probe

https://ianslive.in/culprits-will-not-be-spared-under-any-circumstances-bjp-as-nhrc-probes-alleged-illegal-conversion-racket-in-mps-madrasas--20250930124956

IANS | September 30, 2025 1:29 PM

Bhopal, Sep 30 (IANS) BJP MLA Rameshwar Sharma on Tuesday said that madrasas promoting religious conversions will not be allowed to operate in Madhya Pradesh. He said such institutions would be shut down and strict instructions had been issued to District Collectors to take immediate action.

The statement follows the National Human Rights Commission's (NHRC) decision to investigate allegations of an illegal conversion racket running through unauthorised madrasas in various districts of the state. The racket allegedly targets Hindu children, enrolling them in madrasas with the intent to convert them to Islam.

Speaking to IANS, Rameshwar Sharma said, "The NHRC has taken cognisance of the matter. Strict action will be taken against madrasas promoting religious conversions. Mullahs and Maulvis involved in this will also face consequences. Conversion of children will not be tolerated under any circumstances. The government has issued clear instructions to officials to act swiftly. The culprits will not be spared."

He further alleged that some Maulanas were attempting to convert non-Muslims by teaching them Urdu but emphasised that "no one in Madhya Pradesh can succeed through such means."

Meanwhile, in response to the complaint, the NHRC has written to the Principal Secretary of Madhya Pradesh's School Education Department, directing an enquiry into the allegations and demanding an Action Taken Report (ATR) within 15 days. Authorities have also been asked to email a copy of the report to the Commission.

The complaint, dated September 26, alleged that a well-organised illegal conversion racket was operating in multiple districts of Madhya Pradesh, targeting 556 Hindu children across 27 unauthorised madrasas for conversion to Islam.

Meanwhile, the first five-and-a-half years of Madhya Pradesh's stringent anti-religious conversion law branded in political circles as the 'Love Jihad' law paint a picture far removed from its stated intent.

The Madhya Pradesh Religious Freedom Ordinance, brought into force in January 2020, and its successor, the Madhya Pradesh Religious Freedom Act, 2021, promised uncompromising action against religious conversions through coercion, deception, or marriage.

--IANS

ANI News

"Around 500 Hindu children enrolled in govt-funded madrasas in Morena, Shivpuri": NHRC's Kanoongo on alleged illegal conversion racket in MP

https://www.aninews.in/news/national/general-news/around-500-hindu-children-enrolled-in-govt-funded-madrasas-in-morena-shivpuri-nhrcs-kanoongo-on-alleged-illegal-conversion-racket-in-mp20250930180504/?amp=1

ANI | Updated: Sep 30, 2025 18:05 IST

New Delhi [India], September 30 (ANI): Priyank Kanoongo, a member of the National Human Rights Commission (NHRC), on Tuesday raised concerns about Hindu children being enrolled in government-funded madrasas in Morena and Shivpuri districts of Madhya Pradesh.

According to Kanoongo, around 500 Hindu children are allegedly being taught the Quran and other Islamic studies, sparking allegations of a conspiracy to convert them to Islam. "We received complaints about around 500 Hindu children enrolled in government-funded madrasas in Morena and Shivpuri, MP... The complainant alleges a conspiracy to convert Hindu children to Islam by teaching them the Quran and related topics. We sent this complaint to the Madhya Pradesh government for investigation," Kanoongo told ANI. Kanoongo emphasised that Hindu children should not be enrolled in madrasas, and even Muslim children attending madrasas should also be enrolled in schools for fundamental education. "Our main concern: Hindu children should not be in madrasas. Even if Muslim children attend madrasas, they should also go to school for their fundamental education... Therefore, it is essential to clearly understand that madrasas are not places where children are educated. Even if there are Muslim children in the madrasa, they should be enrolled in school while continuing their madrasa education," said Kanoongo.

The NHRC member claimed that this situation is a blatant violation of Article 28-3 of the Indian Constitution, which prohibits religious instruction in educational institutions wholly maintained out of state funds.

Kanoongo questioned the use of government funds for madrasas, stating that if the allegations are true, the state government must take action against officials responsible. "This is a blatant violation of Article 283 of the Indian Constitution, and if this is happening with government funding, the state government must take action against these erring officials...," he said.

The NHRC has sent the complaint to the Madhya Pradesh government for investigation. Kanoongo stressed the need for clarity on the role of madrasas in education, emphasising that these institutions should not replace formal schooling.

The NHRC wrote to the Principal Secretary of the School Education Department of Madhya Pradesh, requesting an inquiry into the allegations and seeking an action taken report within 15 days.

According to a letter to the NHRC dated September 26, the complainant alleged that a

well-organised illegal conversion racket is operating in various districts of Madhya Pradesh, targeting 556 Hindu children by enrolling them in 27 unauthorised madrasas with the intent to convert them to Islam.
"The complainant further alleged that these madrasas, located in Morena, Islampura, Zaura, Poursa, Ambah, Kailaras, Sambalgarh, and other areas, are teaching Hindu minors the Quran and Hadees without proper government sanction, in violation of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015. Article 28(3) of the Constitution of India, and the Madhya Pradesh Government Order dated August 16, 2024, which bars non-Islamic children from studying in Islamic madrasas. The complainant also alleged that the racket may involve illegal foreign funding and links to anti-national elements and that despite a year having passed, no effective government action has been taken," it read.
The complainant has sought the Commission's intervention in the matter and requested that authorities register an FIR, rescue the affected children, take strict action against the madrasa operators, and conduct a multi-agency high-level investigation to dismantle this illegal conversion network. The allegations made in the complaint, prima facie, appear to be violations of the human rights of the victims, the letter read. (ANI)

ABP Live

`Running Madrasas With Govt Funding, Enrolling Hindu Children Is Serious': NHRC Seeks MP Response

https://news.abplive.com/cities/hindu-children-enrolled-madrasas-taught-quran-mp-nhrc-probe-madhya-pradesh-news-1803297/amp

IANS | Updated at: 30 Sep 2025 07:05 PM (IST)

NHRC Member Priyank Kanoongo says that complaints have been received from Madhya Pradesh stating that in the Morena-Shivpuri region, Hindu children are being enrolled in madrasas and taught the Quran.

New Delhi: National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo on Tuesday stated that the Commission has received a complaint alleging that Hindu children in Madhya Pradesh's Morena-Shivpuri region are being enrolled in madrasas and taught the Quran. The NHRC has taken cognisance of the matter and issued a notice to the Madhya Pradesh government.

Speaking to IANS, Priyank Kanoongo said, "We received a complaint from Madhya Pradesh stating that in the Morena-Shivpuri region, Hindu children are being enrolled in madrasas and taught the Quran. The complainant also expressed concern that this could amount to the conversion of Hindu children to Islam. The matter is serious, with reports indicating that more than five children have already been enrolled in such institutions."

Kanoongo emphasised that madrasas are not recognised as official educational institutions under existing Indian laws and, therefore, should not be enrolling children, especially for religious instruction.

"Our preliminary view is that enrolling Hindu children in madrasas is inappropriate. According to Article 21-A of the Constitution, it is the duty of the state to provide formal education through recognised schools. Madrasas do not fall under this category and are also outside the purview of the Right to Education Act," he added.

He further said, "Running madrasas with government funding and enrolling Hindu children in them raises serious concerns and reflects a significant administrative lapse."

Meanwhile, NHRC has written to the Principal Secretary of Madhya Pradesh's School Education Department, directing a full enquiry into the allegations. The Commission has asked for a detailed Action Taken Report (ATR) to be submitted within 15 days. Authorities have also been instructed to send a copy of the report via email.

According to a complaint dated September 26, a well-organised illegal conversion racket is allegedly operating in several districts of Madhya Pradesh. The complaint claims that 556 Hindu children have been enrolled in 27 unauthorised madrasas with the 'intent' to convert them to Islam.

“The Bench of the NHRC, presided over by Priyank Kanoongo, has taken cognisance of the matter. The Registry is directed to issue a notice to the Principal Secretary, School Education Department, Madhya Pradesh, instructing them to investigate the allegations. It is also important to note that madrasas are not categorised as schools under Article 21-A or the Right to Education Act. Therefore, it is unclear how and why Hindu children are being admitted to these institutions,” the Commission said in an official statement.

(This report has been published as part of the auto-generated syndicate wire feed. Apart from the headline, no editing has been done in the copy by ABP Live.)

Punjab News Express

Madrasas promoting conversions will not be allowed to operate in MP, says BJP as NHRC launches probe

IANS | September 30, 2025 01:34 PM

https://www.punjabnewsexpress.com/crime-justice/news/madrasas-promoting-conversions-will-not-be-allowed-to-operate-in-mp-says-bjp-as-nhrc-launches-probe-299932

BHOPAL: BJP MLA Rameshwar Sharma on Tuesday said that madrasas promoting religious conversions will not be allowed to operate in Madhya Pradesh. He said such institutions would be shut down and strict instructions had been issued to District Collectors to take immediate action.

The statement follows the National Human Rights Commission's (NHRC) decision to investigate allegations of an illegal conversion racket running through unauthorised madrasas in various districts of the state. The racket allegedly targets Hindu children, enrolling them in madrasas with the intent to convert them to Islam.

Speaking to IANS, Rameshwar Sharma said, "The NHRC has taken cognisance of the matter. Strict action will be taken against madrasas promoting religious conversions. Mullahs and Maulvis involved in this will also face consequences. Conversion of children will not be tolerated under any circumstances. The government has issued clear instructions to officials to act swiftly. The culprits will not be spared."

He further alleged that some Maulanas were attempting to convert non-Muslims by teaching them Urdu but emphasised that "no one in Madhya Pradesh can succeed through such means."

Meanwhile, in response to the complaint, the NHRC has written to the Principal Secretary of Madhya Pradesh's School Education Department, directing an enquiry into the allegations and demanding an Action Taken Report (ATR) within 15 days. Authorities have also been asked to email a copy of the report to the Commission.

The News Mill

“Around 500 Hindu children enrolled in govt-funded madrasas in Morena, Shivpuri”: NHRC’s Kanoongo on alleged illegal conversion racket in MP

https://thenewsmill.com/2025/09/around-500-hindu-children-enrolled-in-govt-funded-madrasas-in-morena-shivpuri-nhrcs-kanoongo-on-alleged-illegal-conversion-racket-in-mp/

Written By: ANI | Published on: Sep 30, 2025

Priyank Kanoongo, a member of the National Human Rights Commission (NHRC), on Tuesday raised concerns about Hindu children being enrolled in government-funded madrasas in Morena and Shivpuri districts of Madhya Pradesh.
According to Kanoongo, around 500 Hindu children are allegedly being taught the Quran and other Islamic studies, sparking allegations of a conspiracy to convert them to Islam.
“We received complaints about around 500 Hindu children enrolled in government-funded madrasas in Morena and Shivpuri, MP… The complainant alleges a conspiracy to convert Hindu children to Islam by teaching them the Quran and related topics. We sent this complaint to the Madhya Pradesh government for investigation,” Kanoongo told ANI.
Kanoongo emphasised that Hindu children should not be enrolled in madrasas, and even Muslim children attending madrasas should also be enrolled in schools for fundamental education.
“Our main concern: Hindu children should not be in madrasas. Even if Muslim children attend madrasas, they should also go to school for their fundamental education… Therefore, it is essential to clearly understand that madrasas are not places where children are educated. Even if there are Muslim children in the madrasa, they should be enrolled in school while continuing their madrasa education,” said Kanoongo.
The NHRC member claimed that this situation is a blatant violation of Article 28-3 of the Indian Constitution, which prohibits religious instruction in educational institutions wholly maintained out of state funds.
Kanoongo questioned the use of government funds for madrasas, stating that if the allegations are true, the state government must take action against officials responsible.
“This is a blatant violation of Article 283 of the Indian Constitution, and if this is happening with government funding, the state government must take action against these erring officials…,” he said.
The NHRC has sent the complaint to the Madhya Pradesh government for investigation.
Kanoongo stressed the need for clarity on the role of madrasas in education, emphasising that these institutions should not replace formal schooling.
The NHRC wrote to the Principal Secretary of the School Education Department of Madhya Pradesh, requesting an inquiry into the allegations and seeking an action taken report within 15 days.
According to a letter to the NHRC dated September 26, the complainant alleged that a well-organised illegal conversion racket is operating in various districts of Madhya Pradesh, targeting 556 Hindu children by enrolling them in 27 unauthorised madrasas

with the intent to convert them to Islam.
“The complainant further alleged that these madrasas, located in Morena, Islampura, Zaura, Poursa, Ambah, Kailaras, Sambalgarh, and other areas, are teaching Hindu minors the Quran and Hadees without proper government sanction, in violation of the Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015. Article 28(3) of the Constitution of India, and the Madhya Pradesh Government Order dated August 16, 2024, which bars non-Islamic children from studying in Islamic madrasas. The complainant also alleged that the racket may involve illegal foreign funding and links to anti-national elements and that despite a year having passed, no effective government action has been taken,” it read.
The complainant has sought the Commission’s intervention in the matter and requested that authorities register an FIR, rescue the affected children, take strict action against the madrasa operators, and conduct a multi-agency high-level investigation to dismantle this illegal conversion network. The allegations made in the complaint, prima facie, appear to be violations of the human rights of the victims, the letter read

Inshort

500 Hindu kids enrolled in MP madrasas, NHRC alleges conversion racket

https://inshorts.com/en/amp_news/500-hindu-kids-enrolled-in-mp-madrasas--nhrc-alleges-conversion-racket-1759231871603

National Human Rights Commission member Priyank Kanoongo said complaints were received about around 500 Hindu children enrolled in government-funded madrasas in MP's Morena and Shivpuri. He said, "Complainant alleges conspiracy to convert Hindu kids to Islam by teaching Quran." He added, "Hindu...shouldn't be in madrasas. Even if Muslim children attend madrasas, they should also go to school."

Organiser

NHRC gets tough on illegal Madrasas, seeks report from Madhya Pradesh Government

https://organiser.org/2025/09/30/318573/bharat/nhrc-gets-tough-on-illegal-madrasas-seeks-report-from-madhya-pradesh-government/

September 30, 2025

The issue of illegal madrasa operations in Madhya Pradesh has once again hit the headlines. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of the large number of Hindu children enrolled in both legal and illegal madrasas across the state. In this regard, the Commission has issued a notice to the Principal Secretary of the State School Education Department, demanding a detailed Action Taken Report (ATR) within 15 days.

According to a complaint received by the Commission, in Morena district alone, 27 madrasas are running where 556 Hindu children have been admitted and are being imparted education in the Quran and Hadith. The complainant alleged that this is not a small-scale activity but could well be part of an organized religious conversion racket, which requires thorough investigation.

The complaint specifically names several areas of Morena district, including Islampura, Jaura, Porsa, Ambah, Kailaras, and Sabalgarh, where such madrasas are allegedly operating. The key question being raised is: when there are adequate government schools available for Hindu children, why were they admitted to madrasas instead? On what grounds was their enrollment made possible, and where did the administrative monitoring fail?

Violation of Legal Provisions

The matter is considered serious because it directly violates several legal and constitutional provisions. The Juvenile Justice Act, 2015 guarantees the protection of children’s rights and their best interests. Similarly, Article 28(3) of the Indian Constitution clearly states that no child attending an educational institution wholly funded by the state shall be compelled to receive religious instruction or participate in religious worship.

Additionally, a Madhya Pradesh government order dated 16 August 2024 explicitly stated that non-Muslim children should not be admitted to madrasas. The admission of a large number of Hindu children to illegal madrasas, in violation of these provisions, is not only contempt of law but also a blatant infringement of children’s rights.

Stern Observation by the NHRC

Taking the matter seriously, the NHRC has directed immediate action. It stated that if the allegations are found true, all Hindu children must be withdrawn from the madrasas immediately, FIRs should be lodged against the operators, and the entire network must

be exposed. The Commission further expressed suspicion that foreign funding and anti-national activities could not be ruled out in this matter.

Statement by Priyank Kanoongo

NHRC member Priyank Kanoongo emphasized that Article 21(A) of the Constitution guarantees every child the right to education. However, since madrasas do not fall under the category of schools, the question of how Hindu children were enrolled there becomes even more serious. He stressed that education is directly linked to children's rights, making this a highly sensitive issue that cannot be ignored.

On the other hand, Dr. Nivedita Sharma, former member of the Madhya Pradesh State Child Protection Commission, reacted sharply, stating; "Teaching Hindu children in madrasas is a violation of Article 28(3) of the Constitution. If anyone claims that Hindu children studying there are not being given Islamic instruction, or are not being taught religious texts like the Quran and Hadith, it directly violates the rules of the Madhya Pradesh Madrasa Board."

Dr. Sharma further pointed out that the very concept of the Madrasa Board was established to integrate Muslim children with both Islamic and modern education. In such a scenario, enrolling Hindu children in madrasas is not only against the rules but also a violation of children's religious freedom and their fundamental rights.

Questions on Administrative Responsibility

This case also raises serious questions about administrative accountability. When the state government had already issued a clear directive that non-Muslim children cannot be admitted to madrasas, how did 556 children gain admission on such a large scale? Was the local administration unaware of the matter, or did it deliberately choose to turn a blind eye?

Impact on Social Balance and Education

Education experts also warn of deeper implications. Dr. Rajesh Sharma, an NCERT education specialist, observed that the issue is not limited to religious conversion alone but is also connected with social balance and the psychological development of children. Uprooting young children from their religious background and linking them with another faith's education could affect their identity and self-confidence in the long run. If such practices are occurring in the state, they are undoubtedly harmful to child psychology.

The Road Ahead

All eyes are now on the Madhya Pradesh government and its School Education Department. The NHRC has given a 15-day deadline. If no concrete action and report are presented within this time frame, the matter may escalate to higher levels. This is not merely an educational issue—it is deeply tied to constitutional order, children's rights, and the broader question of social harmony.

Lokmat Times

Madrasas promoting conversions will not be allowed to operate in MP, says BJP as NHRC launches probe

https://www.lokmattimes.com/national/madrasas-promoting-conversions-will-not-be-allowed-to-operate-in-mp-says-bjp-as-nhrc-launches-probe/amp/

By IANS | Updated: September 30, 2025 13:30 IST

Bhopal, Sep 30 BJP MLA Rameshwar Sharma on Tuesday said that madrasas promoting religious conversions will not be ...

Bhopal, Sep 30 BJP MLA Rameshwar Sharma on Tuesday said that madrasas promoting religious conversions will not be allowed to operate in Madhya Pradesh. He said such institutions would be shut down and strict instructions had been issued to District Collectors to take immediate action.

The statement follows the National Human Rights Commission's (NHRC) decision to investigate allegations of an illegal conversion racket running through unauthorised madrasas in various districts of the state. The racket allegedly targets Hindu children, enrolling them in madrasas with the intent to convert them to Islam.

Speaking to IANS, Rameshwar Sharma said, "The NHRC has taken cognisance of the matter. Strict action will be taken against madrasas promoting religious conversions. Mullahs and Maulvis involved in this will also face consequences. Conversion of children will not be tolerated under any circumstances. The government has issued clear instructions to officials to act swiftly. The culprits will not be spared."

He further alleged that some Maulanas were attempting to convert non-Muslims by teaching them Urdu but emphasised that "no one in Madhya Pradesh can succeed through such means."

Meanwhile, in response to the complaint, the NHRC has written to the Principal Secretary of Madhya Pradesh's School Education Department, directing an enquiry into the allegations and demanding an Action Taken Report (ATR) within 15 days. Authorities have also been asked to email a copy of the report to the Commission.

The complaint, dated September 26, alleged that a well-organised illegal conversion racket was operating in multiple districts of Madhya Pradesh, targeting 556 Hindu children across 27 unauthorised madrasas for conversion to Islam.

Meanwhile, the first five-and-a-half years of Madhya Pradesh's stringent anti-religious conversion law branded in political circles as the 'Love Jihad' law paint a picture far removed from its stated intent.

The Madhya Pradesh Religious Freedom Ordinance, brought into force in January 2020, and its successor, the Madhya Pradesh Religious Freedom Act, 2021, promised uncompromising action against religious conversions through coercion, deception, or marriage.

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor

Muslim Mirror

BJP labels madrasas as “conversion hubs” in Madhya Pradesh crackdown, NHRC probes allegations

https://muslimmirror.com/bjp-labels-madrasas-as-conversion-hubs-in-madhya-pradesh-crackdown-nhrc-probes-allegations/

By Muslim Mirror Network | September 30, 2025

On Tuesday, BJP MLA Rameshwar Sharma accsued Madrasas of promoting religious conversions and called them “conversion hubs.” He asserted the party’s stance and said that Madrasas won’t be allowed to operate in Madhya Pradesh and that District Collectors have been instructed to take action.

Sharma’s remarks come after National Human Rights Commission (NHRC) stated that investigation is underway to expose alleged “conversion rackets” across the state. According to the NHRC, Hindu children are the targets of these rackets who are admitted into madrasas eventually persuading them to convert.

A complaint was filed on September 26 which alleged that across Madhya Pradesh an alleged network targeted 556 Hindu children in 27 unrecognised madrasas, claiming that they were being indoctrinated and converted to Islam under the guise of education.

Sharma told the media, “The NHRC is looking into the issue and strict action will be taken against the promoters of religious conversions. Maulvis and Mullahs will face consequences for their actions.”

He then mentioned that conversions will not be tolerated by the government and remarked, “The government has directed the officials to take cognizance and act immediately. The culprits will not be spared.”

Sharma also accused some “maulanas” of teaching Urdu to kids in order to convert them to Islam.

The NHRC, in its response to the complaint wrote to the Principal Secretary of Madhya Pradesh’s School Education Department ordering it to initiate an enquiry into the matter. The NHRC has also demanded an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

As the investigation starts, it’s important to note did the broader legal and political back drop tells more complex story over 5 and a half year is the same Madhya Pradesh introduced one of the countries most stringent anti conversion measures widely referred to in political and media circles as the “love jihad law”, the outcomes appear to deviate sharply from its proclaimed purpose.

The law initially enforced through the Madhya Pradesh Religious Freedom Ordinance in January 2020 was later formulised as the Madhya Pradesh Religious Freedom Act 2021. The legislation was framed as a bulwark against religious conversions said to be carried through alleged coercion, fraud, allurement etc.

Rights groups, political analysts and opposition leaders have argued that the law has functioned less as a safeguard and more as a political tool weaponised against the Muslim community, particularly targeting educational and charitable Institutions owned by them like the madrasas.

They also point out that convictions under the act remain rare, but the disproportionate targeting, criminalisation, and surveillance of Muslims have intensified which reveal their agenda to polarize the country.

Amar Ujala

एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे कुरान: NHRC ने मांगी रिपोर्ट, कानूनगो बोले-सरकार बंद करें ग्रांट

https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/madrasas-in-mp-are-teaching-the-quran-to-hindu-children-nhrc-seeks-report-kanungo-says-government-should-sto-2025-09-30

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 30 Sep 2025 09:39 AM IST

सार

भोपाल

मध्यप्रदेश में अवैध धर्मांतरण की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

विस्तार

मध्यप्रदेश के कई जिलों में कथित तौर पर चल रहे अवैध धर्मांतरण गिरोह की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि यह गिरोह हिन्दू बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए निशाना बना रहा है। इस मामले में आयोग ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं और कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पंद्रह दिनों में प्रस्तुत करने को कहा है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिन्दू बच्चों को 27 अवैध मदरसों में दाखिला देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये मदरसे मुरैना, इसलामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिन्दू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, जो किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है।

सरकार ग्रांट देना तुरंत बंद कर दें

प्रियांक कानूनगो ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछली कई वषों से समस्या चल रही है। मध्य प्रदेश में मदरसा संचालक हिंदू बच्चों को प्रवेश देते है और कुरान पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा केंद्र नहीं है। यह धार्मिक परंपरा सीखाने के केंद्र हैं। राज्य सरकारों को मदरसों को ग्रांट देने का काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह सरकार का काम नहीं है।

Prabhasakshi

MP के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा कुरान: NHRC के प्रियांक कानूनगो ने लगाया अवैध धर्मांतरण का आरोप

https://www.prabhasakshi.com/national/hindu-children-taught-quran-in-mp-madrasas-nhrc-priyank-kanoongo-alleges-illegal-conversions

अंकित सिंह । Sep 30 2025 6:49PM

एनएचआरसी सदस्य ने दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28-3 का घोर उल्लंघन है, जो पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। कानूनगो ने मदरसों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो राज्य सरकार को ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिलों में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले पर चिंता जताई। कानूनगो के अनुसार, लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएँ पढ़ाई जा रही हैं, जिससे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। कानूनगो ने एएनआई को बताया, "हमें मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के नामांकन की शिकायतें मिलीं... शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिंदू बच्चों को कुरान और उससे जुड़े विषयों की शिक्षा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हमने यह शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जाँच के लिए भेज दी है।"

कानूनगो ने ज़ोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों का मदरसों में नामांकन नहीं होना चाहिए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में नामांकन होना चाहिए। कानूनगो ने कहा कि हमारी मुख्य चिंता यह है कि हिंदू बच्चे मदरसों में न हों। अगर मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते भी हैं, तो उन्हें अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल भी जाना चाहिए... इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है कि मदरसे बच्चों को शिक्षित करने की जगह नहीं हैं। अगर मदरसे में मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो उन्हें मदरसे की शिक्षा जारी रखते हुए स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए।

एनएचआरसी सदस्य ने दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28-3 का घोर उल्लंघन है, जो पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। कानूनगो ने मदरसों के लिए सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आरोप सही हैं, तो राज्य सरकार को ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 का घोर उल्लंघन है और अगर यह सरकारी धन से हो रहा है, तो राज्य सरकार को इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए...।"

एनएचआरसी ने शिकायत को जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। कानूनगो ने शिक्षा में मदरसों की भूमिका पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इन संस्थानों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्थान नहीं लेना चाहिए। एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जाँच करने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट माँगी है।

एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट चल रहा है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने के इरादे से निशाना बना रहा है।

Panchjanya

मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान-हदीस पढ़ाने का मामला: NHRC सख्त, संचालकों के खिलाफ FIR के निर्देश

https://panchjanya.com/2025/09/30/437993/bharat/nhrc-cracks-down-on-illegal-madrasas-seeks-report-from-madhya-pradesh-government-find-out-the-full-story/

30 सितंबर 2025

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों के संचालन का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के वैध और अवैध मदरसों में दाखिले को लेकर संज्ञान लिया है। इसे लेकर आयोग ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।

हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देने का आरोप

आयोग को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सूबे के अकेले मुरैना में चल रहे विभिन्न मदरसों में 27 मदरसे ऐसे हैं जहां 556 हिंदू बच्चों को दाखिल देकर कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है। आरोप है कि यह गतिविधि एक संगठित कन्वर्जन रैकेट का हिस्सा हो सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए। इस शिकायत में मुरैना जिले के कई क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। जिनमें इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस और सबलगढ़ समेत कई इलाकों में ऐसे मदरसे चलाए जाने की बात कही गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि हिंदू बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह मदरसों में क्यों भर्ती किया गया।

आयोग का निर्देश-सभी हिंदू विद्यार्थियों को फौरन मदरसों से हटाया जाए

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि अगर शिकायतें सत्य पाई जाती हैं तो सभी हिंदू विद्यार्थियों को फौरन मदरसों से हटाया जाए। संचालकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हो और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाए। साथ ही आयोग ने आशंका जताई है कि इसमें विदेशी फंडिंग और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

यह मामला साधे कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत यह अधिनियम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सर्वोत्तम हितों की गारंटी देता है। वहीं, संविधान का अनुच्छेद 28(3) में साफ प्रावधान है कि किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जो पूरी तरह सरकारी अनुदान प्राप्त करता हो, बच्चों को उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़ने या धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 16 अगस्त 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश में भी कहा गया है कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

Zee News

MP के हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा कुरान? 27 मदरसों में 556 बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी, एक्शन में NHRC

MP News: मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी की गंभीर शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंची है. NHRC ने राज्य के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है.

https://zeenews.india.com/hindi/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/bhopal/27-madrasas-in-mp-are-preparing-to-convert-556-hindu-children-complaint-has-been-filed-with-the-nhrc/2941944

Written By Ranjana Kahar | Last Updated: Sep 30, 2025, 02:38 PM IST

Madhya Pradesh Madarsas: मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की एक गंभीर शिकायत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. शिकायत के अनुसार राज्य के 27 मदरसों में पढ़ने वाले 556 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है. इस सनसनीखेज मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के पास पहुंची है. NHRC ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी

दरअसल, मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में लगभग 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का ज़िक्र है. खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. आयोग के संज्ञान में आने के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

NHRC ने 15 दिन में मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संज्ञान लिया है और आयोग ने प्रमुख सचिव ने स्कूल शिक्षा से जवाब मांगा है. आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. आयोग ने सवाल किया है कि गैर-मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे. 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाए जाने का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है. इस घटनाक्रम से मध्य प्रदेश सरकार पर मदरसों के संचालन और गैर-मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है.

Navbharat Times

मदरसे कैसे पहुंचे गैर-मुस्लिम बच्चे! 27 मदरसों में 556 बच्चों को मतांतरण के लिए बनाया जा रहा निशाना

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/556-children-in-27-madrasas-are-being-targeted-for-conversion/articleshow/124231647.cms

Curated by: आकाश सिकरवार | नवभारतटाइम्स.कॉम•30 Sept 2025, 3:51 pm

Bhopal News: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित मतांतरण रैकेट पर स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने मदरसों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर होने पर भी हिंदू बच्चों के प्रवेश पर सवाल उठाया है।

भोपाल: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के कथित मतांतरण रैकेट के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। आयोग के पास पहुंची शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को मतांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। एनएचआरसी की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

एफआईआर दर्ज कराने की मांग

शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। एनएचआरसी की पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, और ऐसे में हिंदू बच्चों को वहां प्रवेश कैसे और क्यों दिया जाता है, यह समझ से परे है।

26 सितंबर को मिली थी शिकायत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का एक रैकेट चलने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की गंभीरता पर जोर दिया है। शिकायत में यह दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस कथित रैकेट में शामिल हैं। इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। यह संख्या शिकायत में विशेष रूप से उल्लिखित की गई है।

गैर हिंदुओं को कैसे मिल रहा प्रवेश

शिकायतकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। यह मांग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच शुरू

आयोग ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं, और ऐसे में हिंदू बच्चों को वहां प्रवेश कैसे और क्यों दिया जाता है, यह समझ से परे है। राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत में मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का एक रैकेट चलने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की गंभीरता पर जोर दिया है।

Hindustan

MP के मदरसों में 500 हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे कुरान, NHRC को धर्मांतरण के षड्यंत्र की शिकायत

एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले में शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में स्थित मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं।

https://www.livehindustan.com/madhya-pradesh/around-500-hindu-children-being-taught-quran-in-mp-madrasas-nhrc-complains-of-conspiracy-to-convert-201759250853610.html

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी, एएनआई Tue, 30 Sep 2025 10:55 PM

मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को इस मामले में शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में स्थित मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इन मदरसों में धर्मांतरण करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये सभी मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित बताए जा रहे हैं।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस बार में जानकारी देते हुए बताया है कि हमें मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के दाखिले की शिकायतें मिलीं है। शिकायतकर्ता ने हिंदू बच्चों को कुरान और उससे जुड़े विषयों की शिक्षा देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश का आरोप लगाया है। हमने यह शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जांच के लिए भेज दी है। कानूनगो ने जोर देकर कहा कि हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए और मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिए।

एनएचआरसी ने शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जांच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे गए एक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक अवैध धर्मांतरण गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने के इरादे से निशाना बना रहा है।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, उचित सरकारी मंजूरी के बिना हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जो गैर-इस्लामी बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद, सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।

शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग के दखल की मांग की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे एक एफआईआर दर्ज करें और प्रभावित बच्चों को बचाएं, मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक बहु-एजेंसी उच्च-स्तरीय जांच करें।

Hari Bhoomi

Conversion Controversy: 27 मदरसों में 556 बच्चों के धर्मांतरण की शिकायत, NHRC में शिकायत; रामेश्वर शर्मा ने दी चेतावनी

https://www.haribhoomi.com/state-local/madhya-pradesh/conversion-controversy-648871

30 सितंबर 2025

मध्य प्रदेश में 27 मदरसों पर 556 बच्चों के कथित धर्मांतरण की शिकायत NHRC में दर्ज

मध्य प्रदेश में 27 मदरसों पर 556 बच्चों के कथित धर्मांतरण की शिकायत NHRC में दर्ज। BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऐसे मदरसों को बंद करने की चेतावनी दी। सरकार ने जांच के आदेश दिए।

भोपाल। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के 27 मदरसों में 556 बच्चों के कथित धर्मांतरण की तैयारी की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) में दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन मदरसों में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख परिवारों के बच्चों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे किसी भी मदरसे को चलने नहीं दिया जाएगा, जो गैर-मुस्लिम बच्चों के धर्मांतरण की मंशा रखते हों।

शिकायत का विवरण

शिकायतकर्ता के अनुसार, मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में संचालित 27 मदरसों में सैकड़ों बच्चों को धर्मांतरण के लिए लक्ष्य बनाया जा रहा है। आरोप है कि कुछ मौलवी और मुल्ला धार्मिक ग्रंथों और प्रलोभनों के जरिए बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। NHRC ने इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, राज्य सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान

भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बयान दिया। उन्होंने कहा, "मध्यप्रदेश में ऐसा कोई मदरसा नहीं चलेगा, जो सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखता हो। ऐसे मदरसों पर ताले लगाए जाएंगे।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। NHRC की शिकायत के आधार पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और DEO को निर्देश दिए हैं कि मदरसों की जांच की जाए। मदरसों के पाठ्यक्रम और शिक्षकों की पृष्ठभूमि की जांच होगी। छात्रों के प्रवेश रिकॉर्ड की गहन समीक्षा की जाएगी।अनियमितता पाए जाने पर मदरसों को बंद करने तक की कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पहले से ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 लागू है, जिसके तहत जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में प्रलोभन या दबाव से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं। इसी कारण 2021 में कानून को और सख्त किया गया था। जानकारों का मानना है कि यह विवाद धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए निष्पक्ष और त्वरित जांच बेहद जरूरी है। बहरहाल, यह मामला अभी जांच के दायरे में है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि निर्दोषों की सुरक्षा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Oneindia

MP News: मदरसों में धर्मांतरण क्या है विवाद, जानिए, NHRC ने सरकार को भेजा नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब

https://hindi.oneindia.com/news/bhopal/conversion-controversy-in-mp-madrasa-nhrc-issues-notice-to-mohan-yadav-government-1397509.html

By Laxminarayan Malviya | Published: Tuesday, September 30, 2025, 13:46 [IST]

Conversion Controversy In MP Madrasa: मध्य प्रदेश के मुरैना, शिवपुरी, भिंड और अन्य जिलों में 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को कथित रूप से इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश के आरोपों ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट और कार्रवाई का विवरण मांगा है। यह मामला न केवल बच्चों के शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगा रहा है।

MP में मदरसों में हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण का मामला:

शिकायत का पूरा विवरण: क्या है आरोप?

26 सितंबर 2025 को NHRC को प्राप्त शिकायत में दावा किया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौर्सा, अंबाह, कैलारास, सांभलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित 27 अनधिकृत मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना किसी सरकारी अनुमति के दाखिला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन मदरसों में बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना है। यह एक संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बताया जा रहा है, जो बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करता है।

शिकायत में मांग की गई है कि प्रभावित बच्चों को तत्काल बचाया जाए, मदरसा संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज हो, और एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए। NHRC की बेंच, जिसमें पूर्व NCPCR अध्यक्ष प्रियांक कनूनगो (वर्तमान में NHRC सदस्य) शामिल हैं, ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है। आयोग ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वे इन मदरसों की वैधता, बच्चों के दाखिले और सरकारी फंडिंग की जांच करें।

प्रियांक कनूनगो का बयान: संवैधानिक उल्लंघन पर सख्त रुख

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान NHRC सदस्य प्रियांक कनूनगो ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिले की शिकायत मिली है। ये मदरसे सरकारी फंड से चल रहे हैं, और आरोप है कि कुरान पढ़ाकर इन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश है। हमने शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है।"

कनूनगो ने आगे जोर देकर कहा, "हिंदू बच्चों का मदरसों में होना अनुचित है। मुस्लिम बच्चे भी अगर मदरसे जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी मौलिक शिक्षा के लिए स्कूल आना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(क) बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 1 स्पष्ट करती है कि मदरसा शिक्षा का संस्थान नहीं है।" उन्होंने अनुच्छेद 28(3) का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती, खासकर गैर-धार्मिक बच्चों पर। यदि सरकारी फंडिंग से यह हो रहा है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

कनूनगो का यह रुख उनके पिछले कार्यकाल से जुड़ा है, जहां NCPCR ने मदरसों पर व्यापक अभियान चलाया था। 2024 में जारी रिपोर्ट 'गार्जियंस ऑफ फेथ ऑर अप्रेसर्स ऑफ राइट्स: कांस्टीट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वर्सेज मदरसास' में उन्होंने मदरसों को RTE अधिनियम से बाहर बताते हुए गैर-मुस्लिम बच्चों को हटाने की मांग की थी।

कानूनी आधार: कौन से प्रावधानों का उल्लंघन?

यह मामला कई कानूनी प्रावधानों को छूता है:

संविधान का अनुच्छेद 28(3): किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: मदरसों को RTE से छूट है, लेकिन इससे बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार आदेश, 16 अगस्त 2024: गैर-इस्लामिक बच्चों को इस्लामिक मदरसों में पढ़ने की मनाही।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015: बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना।
मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2021: अवैध धर्मांतरण पर सख्ती।

NHRC ने इन उल्लंघनों को मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन माना है, खासकर जब सरकारी फंडिंग शामिल हो। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 1,755 पंजीकृत मदरसों में 9,446 गैर-मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो RTE के प्रावधानों का उल्लंघन है।

मध्य प्रदेश में मदरसों की स्थिति: आंकड़े और चुनौतियां

मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हजारों मदरसे चल रहे हैं, जिनमें से कई अनधिकृत हैं। 2024 के डेटा से पता चलता है कि 9,446 हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चे इनमें दाखिले हैं। ये मदरसे अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं - कोई मिड-डे मील, यूनिफॉर्म या प्रशिक्षित शिक्षक नहीं। NCPCR की रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसा बोर्ड RTE का पालन नहीं करते, जिससे बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

राज्य सरकार ने 16 अगस्त 2024 के आदेश में गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन अमल में कमी बनी हुई है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अब NHRC के नोटिस के बाद तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

प्रियांक कनूनगो का विवादास्पद इतिहास: मदरसों पर फोकस

प्रियांक कनूनगो का NCPCR कार्यकाल (2018-2024) मदरसों और धार्मिक संस्थानों पर केंद्रित रहा। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मदरसों की जांच कराई, जहां पाकिस्तानी किताबों और कट्टरपंथी शिक्षा के आरोप लगे। 2024 में NCPCR ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मदरसा फंडिंग रोकने और बोर्ड भंग करने की सिफारिश की।

हालांकि, कनूनगो पर अल्पसंख्यक-विरोधी पूर्वाग्रह के आरोप लगे हैं। 2021 में गुजरात के एक ईसाई शेल्टर होम पर बाइबल पढ़ाने का आरोप लगाकर FIR कराई, जो बाद में अदालत में खारिज हुई। मिशनरी संस्थानों पर छापेमारी के कई मामले हाईकोर्ट में रद्द हुए, जहां NCPCR की लॉकस स्टैंडी पर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पूछा कि NCPCR केवल मदरसों पर ही क्यों फोकस कर रहा है, क्या पाठशालाओं या मठों पर भी वैसा ही? मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक पूर्वाग्रह बताया, जबकि समर्थक इसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा मानते हैं।

कनूनगो ने 2025 में NHRC सदस्य बनने के बाद भी इस मुद्दे पर किताब लिखने की घोषणा की, जो मदरसों के कथित दुरुपयोग पर केंद्रित होगी।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राह

मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने NHRC नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पहले अवैध धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया है, लेकिन मदरसों पर फंडिंग जारी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे 'राजनीतिक साजिश' बताया, जबकि भाजपा ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया।

NCPCR ने सभी राज्यों से अपील की है कि गैर-मुस्लिम बच्चों को तत्काल स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए। यदि NHRC की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिली, तो आयोग आगे की कार्रवाई कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना भी शामिल है।

OPindia

MP में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी के आरोपों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बड़ा एक्शन

https://hindi.oneindia.com/videos/preparations-to-convert-hindu-children-in-mp-cm-mohan-yadav-religion-conversion-in-mp-4266237.html

By Oneindia Videos Published: Tuesday, Sep 30, 2025, 04:22 [IST]

मध्यप्रदेश (MP) में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।यहां 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण (Religion Conversion) की तैयारी की जा रही थी, जिसका खुलासा हुआ है। मध्यप्रदेश (MP) से ये शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) के पास पहुंची है। NHRC के सदस्य का कहा है कि उन्हें शिकायत मिली है कि मध्यप्रदेश के मुरैना,शिवपुरी जैसी जगहों में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाया गया है, इसके बाद राष्ट्रीय मानव आयोग (NHRC) ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा से 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग के सदस्यों का भी कहना है कि मध्य प्रदेश (MP)के गैर मुस्लिम बच्चों को बिना मंजूरी कुरान क्यों पढ़ाया जा रहा है।

IndiaTV Hindi

556 हिंदू बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही कुरान, MP के 27 मदरसों में धर्मांतरण की तैयारी? मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है।

https://www.indiatv.in/madhya-pradesh/556-children-in-27-madrasas-are-being-targeted-for-conversion-nhrc-issues-notice-to-govt-2025-10-01-1166185

Edited By: Khushbu Rawal@khushburawal2
Published : Oct 01, 2025 6:52 IST, Updated : Oct 01, 2025 6:52 IST

मध्य प्रदेश के 27 अवैध मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जहां मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने और इस्लाम अपनाने के लिए दवाब बनाने का मामला सामने आया है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

मदरसों में धर्मांतरण विवाद क्या है?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती कुरान पढ़ाई जा रही है और धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है।

मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला कैसे?

NHRC का कहना है कि ज्यादातर मदरसे बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों के कई मदरसों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। NHRC ने सवाल उठाया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कैसे मिल रहा है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तत्काल हटाया जाए और बिना मंजूरी चल रहे मदरसों पर FIR दर्ज की जाए।

हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप

बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बीते 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी जिसमें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस रैकेट में शामिल हैं। इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है।

Janta Se Rishta

NHRC ने मुरैना-शिवपुरी के सरकारी मदरसों में हिंदू बच्चों के कथित नामांकन पर चिंता जताई

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-expresses-concern-over-alleged-enrolment-of-hindu-children-in-government-madrasas-in-morena-shivpuri-4294884

30 सितंबर 2025

New Delhi : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिलों में सरकारी वित्त पोषित मदरसों में हिंदू बच्चों के नामांकन को लेकर चिंता जताई । कानूनगो के अनुसार, लगभग 500 हिंदू बच्चों को कथित तौर पर कुरान और अन्य इस्लामी अध्ययन पढ़ाया जा रहा है, जिससे उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश के आरोप लग रहे हैं । कानूनगो ने एएनआई को बताया, "हमें मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में नामांकित लगभग 500 हिंदू बच्चों के बारे में शिकायतें मिलीं ... शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिंदू बच्चों को कुरान और संबंधित विषय पढ़ाकर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश रची जा रही है । हमने यह शिकायत जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दी है।"

कानूनगो ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला दिया जाना चाहिए। "हमारी मुख्य चिंता यह है कि हिंदू बच्चों को मदरसों में नहीं जाना चाहिए। अगर मुस्लिम बच्चे मदरसे में जाते भी हैं, तो उन्हें बुनियादी शिक्षा के लिए स्कूल भी जाना चाहिए... इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है कि मदरसे ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अगर मदरसे में मुस्लिम बच्चे भी हैं, तो उन्हें मदरसे की शिक्षा जारी रखते हुए स्कूल में दाखिला दिया जाना चाहिए," कानूनगो ने कहा।

एनएचआरसी सदस्य ने दावा किया कि यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28-3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है।कानूनगो ने मदरसों के लिए सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आरोप सही हैं तो राज्य सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।उन्होंने कहा, "यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 का घोर उल्लंघन है और यदि यह सरकारी धन से हो रहा है तो राज्य सरकार को इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए..."एनएचआरसी ने शिकायत को जाँच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया है। कानूनगो ने शिक्षा में मदरसों की भूमिका पर स्पष्टता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इन संस्थानों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्थान नहीं लेना चाहिए।

एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर आरोपों की जांच करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। एनएचआरसी को 26 सितंबर को लिखे पत्र के अनुसार , शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक सुव्यवस्थित अवैध धर्मांतरण रैकेट चल रहा है , जो 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करने के इरादे से 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिला रहा है ।

शिकायत में आगे कहा गया है, "शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुरैना , इस्लामपुरा , जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण)

अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए हिंदू नाबालिगों को उचित सरकारी मंजूरी के बिना कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त, 2024 के मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का उल्लंघन है, जो गैर- इस्लामिक बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद कोई प्रभावी सरकारी कार्रवाई नहीं की गई है।"

शिकायतकर्ता ने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की माँग की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे प्राथमिकी दर्ज करें, प्रभावित बच्चों को बचाएँ, मदरसा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बहु-एजेंसी उच्च-स्तरीय जाँच करें। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं।

TV9 Bharatvarsh

MP: मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को कुरान पढ़ाने पर विवाद, NHRC राज्य सरकार से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में करीब 27 हजार मदरसों में 5.56 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. इनमें गैर मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं. आरोप है कि गैर मुस्लिम बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है. इसको धर्मांतरण से जोड़कर नाराजगी जाहिर की गई है.

https://www.tv9hindi.com/india/madhya-pradesh-madrasas-non-muslim-children-alleged-conversion-nhrc-seeks-report-state-government-bjp-congress-3505463.html

शुभम गुप्ता | Updated on: Sep 30, 2025 8:19 PM IST

मध्य प्रदेश के मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण रैकेट परराज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को अभिभावकों की अनुमति के बिना कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है. इसको धर्मांतरण से जोड़कर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं.

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 27 हजार मदरसों में 5.56 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. इनमें गैर मुस्लिम बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा बताई जा रही है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहना है कि ज्यादातर मदरसे बिना सरकारी अनुमति के संचालित हो रहे हैं. भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और परासिया जिलों के कई मदरसों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है.

गैर मुस्लिम बच्चों मदरसों में दाखिला कैसे ?

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सवाल उठाया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को इन मदरसों में दाखिला कैसे मिल रहा है, जबकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) के तहत बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है. आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को तत्काल हटाया जाए और बिना मंजूरी चल रहे मदरसों पर एफआईआर दर्ज की जाए.

‘धर्मांतरण कराने वाले मदरसे नहीं चलेंगे’

इस मामले पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले मदरसे नहीं चलेंगे. ऐसे मदरसों पर ताले लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कलेक्टर और डीईओ को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. नेता ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी और मुल्ला-मौलवी भी इसके दायरे में आएंगे.

शर्मा ने साफ कहा कि बच्चों का धर्मांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सनातनी, जैन, बौद्ध और सिख बच्चों को बरगलाने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक

स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन किसी भी धर्म के बच्चों को जबरदस्ती दूसरे धर्म की शिक्षा देना पूरी तरह गलत है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो पर ही सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा है कि प्रियंक कानूनगो की जांच होनी चाहिए. उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं.

हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का आरोप

दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बीते 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था. शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 27 मदरसे इस कथित रैकेट में शामिल हैं. इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है.

NDTV MP Chattisgarh

MP के 27 मदरसों को लेकर बवाल! मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब, हिंदू बच्चों को लेकर BJP-कांग्रेस ने ये कहा

Madhya Pradesh Madarsas: NHRC ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार आयोग के साथ मध्यप्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगी.

https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/madrasas-in-mp-conversion-controversy-in-mp-madrasa-quran-and-hadith-hindu-children-forced-religious-education-nhrc-notice-to-mp-government-9370717

Reported by:आकाश द्विवेदी

Written by:अजय कुमार पटेल

मध्य प्रदेश न्यूज़

सितंबर 30, 2025 16:02 pm IST

Published Onसितंबर 30, 2025 15:23 pm IST

Last Updated Onसितंबर 30, 2025 16:02 pm IST

MP News: मध्यप्रदेश के मदरसों को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास शिकायत पहुंची है कि प्रदेश के कई जिलों में बिना अनुमति हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है और धर्मांतरण की तैयारी की जा रही है. शिकायत में दावा किया गया है कि 27 मदरसों में करीब 556 हिंदू बच्चों को दाखिला दिलाया गया है, जिनके जरिए उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार किया जा रहा है, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह काम एक सुसंगठित अवैध धर्मांतरण गिरोह द्वारा किया जा रहा है.

यहां के मदरसों को लेकर उठे सवाल

मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस और सबलगढ़ समेत कई जिलों के मदरसों का जिक्र शिकायत में किया गया है, आरोप है कि ये मदरसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015, भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्यप्रदेश सरकार के 15 जून 2015 के आदेश का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं.शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं.

NHRC ने मांगी रिपोर्ट, BJP-कांग्रेस ने ये कहा

NHRC ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से 15 दिन के भीतर एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार

आयोग के साथ मध्यप्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगी, किसी को भी जबरन दूसरे धर्म का ज्ञान देना और मदरसे में बुलाकर पढ़ाना यह न्यायोचित नहीं है. कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्यप्रदेश सरकार निर्देश देगी.

BJP विधायक ने कहा "कौन मुल्ला-मौलवी डरा कर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है. ऐसे जो भी मदरसे हैं, उनमें ताले लगा दिए जाएंगे. कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों, जैन, बौद्ध या सिख के बच्चों को दूसरे धर्म की, इस्लाम की तालीम दी जाए यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा - "मदरसे में अगर हिन्दू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? सरकार तरह-तरह के कानून बनाती है, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाती है, लेकिन काम कुछ नही हो रहा है, सिर्फ इंवेंट मैनेजमेंट चल रहा है. DEO और शिक्षा विभाग और अधिकारी क्या कर रहे हैं? बीजेपी सिर्फ लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटकर वोट लेने का काम करती है."

प्रेमचंद और देश के पहले राष्ट्रपति भी मदरसे से ले चुके हैं तालीम

मुंशी प्रेमचंद और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने भी मदरसे में भी तालीम ली थी. वैसे मध्यप्रदेश में सरकारी मान्यता प्राप्त कुल 1505 मदरसे हैं, जिसमें 9417 ग़ैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं. मदरसा बोर्ड का संचालन सरकारी स्कूल की तरह होता है जो उर्दू माध्यम में पढ़ाई कराता है, वहीं स्वतंत्र मदरसे जो दर्स-ए-निजामी प्रणाली का पालन करते हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेज की तरह काम करते हैं और अक्सर उच्च इस्लामी मदरसों जैसे दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलेमा से संबद्ध होते हैं. ये मदरसे वैसे उसी पाठ्यक्रम को पढाते हैं जिसकी मान्यता सरकार देती है. तो ऐसे में कुछ भी कानूनन सही नहीं था, तो जिम्मेदारी किसकी है?

OPindia

MP के 27 मदरसों में 500+ हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा कुरान: NHRC ने उठाई एफआईआर की माँग, 15 दिन के भीतर देना होगा जवाब

https://hindi.opindia.com/news-updates/madhya-pradesh-nhrc-report-556-hindu-children-27-madrasas-convert-islam/

मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में हिंदू बच्चों के अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलने की एक गंभीर शिकायत सामने आई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सामने यह शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 556 हिंदू बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।

NHRC ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब माँगा है। आयोग ने इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की भी माँग की है।

मदरसों की फंडिंग पर गंभीर सवाल

जानकारी के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act), 2015 का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग ने अपने पत्र में यह सवाल उठाया है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे से बाहर हैं, फिर भी हिंदू बच्चों को वहाँ प्रवेश क्यों दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इन मदरसों पर अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध होने का भी गंभीर आरोप लगाया है।

‘मदरसे शिक्षा केंद्र नहीं’

NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मदरसे शिक्षा केंद्र नहीं हैं, बल्कि मजहबी परंपरा सिखाने के केंद्र हैं। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यह समस्या पिछले कई सालों से चल रही है। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा था।

कानूनगो ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को मदरसों को ग्रांट देना तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह सरकार का काम नहीं है। आयोग अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

Punjab Kesari

मध्य प्रदेश: मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने का मामला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

https://www.punjabkesari.com/madhya-pradesh/madhya-pradesh-national-human-rights-commission-issues-notice-in-madrassa-case-of-teaching-quran-to-hindu-children/

Rahul Kumar Rawat | October 1, 2025 12:59 AM

मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मीडिया को बताया है कि हमें शिकायत मिली थी कि मुरैना-शिवपुरी के अंचल में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिल करके कुरान पढ़ाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका व्यक्त की है कि यह हिंदू बच्चों के इस्लाम में धर्मांतरण का भी मामला हो सकता है।

राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट

इस शिकायत में यह भी कहा गया कि 500 से अधिक बच्चों के मदरसों के दाखिले की जानकारी मिली। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमारा प्रारंभिक तौर पर मानना है कि मदरसों में हिंदू बच्चों का कोई काम नहीं होता है। मदरसे शिक्षा का केंद्र नहीं होते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(क) यह निर्देशित करता है कि राज्य सरकार बच्चों के लिए स्कूल बनाएगी, बच्चों को स्कूल में दाखिल करेंगे।

अवैध मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चे

ऐसे में सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसे में हिंदू बच्चों को रखना अपने आप में गंभीर रूप से अनियमितता प्रतीत होती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कानून की धारा एक में मदरसों को शिक्षा का केंद्र न मानते हुए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। सवाल यह है कि सरकारी फंड से मदरसे चलाना गलत है और उसमें हिन्दू बच्चों को दाखिल करना और भी गलत है। दरअसल, मुरैना के इस्लामनगर सहित अन्य जिलों के मदरसों में हिंदू बच्चों के प्रवेश का मामला सामने आया है। प्रदेश में 556 हिंदू बच्चे 27 से अधिक अवैध मदरसों में पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2024 में माना था कि मदरसों में इस्लामिक पढ़ाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है।

Dainik Bhaskar

मुरैना-शिवपुरी में हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस

https://www.bhaskarhindi.com/other/--1192979

30 Sept 2025 11:47 PM

मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला देकर कुरान और हदीस पढ़ाने का मामला गरमा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

शिवपुरी, 30 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी जिले में हिंदू बच्चों को मदरसों में दाखिला देकर कुरान और हदीस पढ़ाने का मामला गरमा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह संगठित धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आयोग को मिली शिकायत में आरोप है कि मुरैना में 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को दाखिला देकर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है, जो बिना अनुमति धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा, "मदरसे मान्यता प्राप्त शिक्षा केंद्र नहीं हैं। ऐसे में हिंदू बच्चों का दाखिला इनमें उचित नहीं है। संविधान की धारा 21(ए) हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है। किसी भी धर्म के बच्चों को जबरदस्ती दूसरे धर्म की शिक्षा देना पूरी तरह गलत है।" मध्य प्रदेश सरकार के 16 अगस्त 2024 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद यह कथित उल्लंघन हुआ, जिसे कानूनगो ने बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। आयोग ने इसे अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई का आधार माना है।

इस बीच, शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) विवेक श्रीवास्तव ने मामले को प्राथमिकता देते हुए जांच शुरू कर दी है। विवेक श्रीवास्तव ने आईएएनएस से कहा, "यह मामला हमारी पहली प्राथमिकता है। जिले के सभी मदरसों की गहन पड़ताल की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी।" उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में पांच मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि करैरा, दिनारा और नरवर क्षेत्र से तीन नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मदरसों में छात्रों की धार्मिक पृष्ठभूमि की जांच हो और अवैध दाखिले पर तत्काल रोक लगे।

Punjab Kesari

MP के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के बदले गए धर्म! NHRC ने सरकार से मांगा जवाब, पूर्व मंत्री बोले- शिक्षा विभाग सो रहा है क्या

https://mp.punjabkesari.in/national/news/556-hindu-children-converted-to-islam-in-27-madrasas-in-madhya-pradesh-2221101

Edited By Vikas Tiwari, Updated: 30 Sep, 2025 01:10 PM

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से अवैध मदरसों का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि 27 गैर-पंजीकृत मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना अनुमति के कुरान-हदीस की तालीम दी जा रही है और धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया...

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से अवैध मदरसों का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि 27 गैर-पंजीकृत मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को बिना अनुमति के कुरान-हदीस की तालीम दी जा रही है और धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 24 सितंबर 2025 को दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए संयुक्त जांच टीम बनाने, बच्चों को सुरक्षित निकालने और 11 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

BJP का रुख, कठोर कार्रवाई की मांग

भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों को मदरसों में इस्लामी तालीम देना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को जांच के निर्देश देने की बात कही और साफ कहा कि ऐसे मदरसों पर ताले लगवाए जाएंगे।

कांग्रेस का हमला.. शिक्षा विभाग की नाकामी

वहीं, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद पर सिर्फ कानून बनाकर दिखावा कर रही है, लेकिन अमल शून्य है। 'अगर मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है?' उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि BJP केवल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है और वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है।

IBC24

MP Madarsa Conversion: हवा-हवाई निकले NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो के दावे! इस्लामिक स्कूल के ब्राह्मण शिक्षिका ने खोली पोल, MP के मदरसों में किया था मतांतरण का दावा

https://www.ibc24.in/madhya-pradesh/bhopal/mp-madarsa-conversion-priyank-kanoongos-complaint-exposed-3275018.html

tikesh Kumar | Modified Date: September 30, 2025 / 06:15 pm IST

Published Date: September 30, 2025 6:08 pm IST

HIGHLIGHTS

प्रियंक कानूनगो की शिकायत की पोल खुली,

ब्राह्मण शिक्षिका का खुलासा,

मदरसों में सिर्फ हिंदी-अंग्रेज़ी पढ़ाई- शिक्षिका,

भोपाल : MP News: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो एक शिकायत के आधार पर दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में तक़रीबन साढ़े पांच सौ बच्चों के मतांतरण की तैयारी की जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो हिंदू बच्चों को बरगलाया जा रहा है। इसे धर्मांतरण का पहला चरण माना जा रहा है। IBC 24 ने शिकायत में उल्लिखित मुरैना जिले के एक गांव, खड़ियार, में जाकर इस मामले की पड़ताल की। महाकाल लिखी हुई शर्ट पहने तनु नामदेव नाम की एक बच्ची इस बात की पुष्टि करती है कि आरोपों में कितना दम है। MP Madarsa Conversion

ब्राह्मण शिक्षिका का खुलासा

MP Madarsa Conversion: इतना ही नहीं वहां जो शिक्षिका हमें मिलीं वे कुलीन हिंदू जाति से ब्राह्मण हैं। उनका भी कहना है कि भले ही आयशा मदरसा इस्लामिक स्कूल के नाम से यह संस्था संचालित हो रही है लेकिन यहां दीनी तालीम नहीं दी जाती बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि पहला शिक्षा मंत्री हमें शिक्षाविद नहीं, बल्कि मौलाना मिला मदरसा चलाना सरकार का काम है मौलानाओं का नहीं। जब ऐसी कोई रिपोर्ट जांच के लिए सरकार के पास भेजी जाती है तो हिंदूवादी छवि वाले नेता सबसे पहले बयानबाज़ी के लिए सामने आ जाते हैं। भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ऐसे नेताओं में अग्रणी हैं। वे मीडिया के सामने आए और कहा कि ऐसे सभी मदरसों पर ताले लगाए जाएंगे। क्या परिस्थितियां हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन मौलवी डरा या प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है ऐसे मदरसे मध्य प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

शिक्षा या मतांतरण?

MP Madarsa Conversion: सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आसान है ऐसे धर्मांतरण क्या बच्चे सिर्फ स्कूल दूर होने के कारण ऐसे मदरसों में जाते हैं जो नज़दीक हैं और स्कूल की तरह संचालित, सवाल ये भी है कि जब इस मामले की तकरीबन दो महीने पहले ही कलक्टर के निर्देश पर जांच हो चुकी है तो अब प्रियंक कानून गो ने सरकार से जांच को क्या कहा?

सवाल ये भी कि क्या मदरसों को विधिवत शिक्षा देने की पात्रता है? यदि नहीं तो वे क्यूँ मदरसों को स्कूल बनाकर चला रहे हैं?क्या सरकार से मिलने वाले अनुदान की मदद से मदरसे प्राइवेट स्कूलों में कन्वर्ट हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि शिक्षा देना भी कोई गुनाह है क्या?

Delhi upto date

मध्यप्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के मतांतरण की तैयारी, एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

https://delhiuptodate.com/nhrc-took-cognizance-of-the-preparation-of-556-hindu-children-in-27-madrasas-of-madhya-pradesh/

September 30, 2025 by Editor

भोपाल
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पास पहुंची शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के मतांतरण का रैकेट चल रहा है। प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने मामले में एफआइआर दर्ज कराने की मांग की है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली एनएचआरसी की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से 15 दिन में जवाब मांगा है। प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। ऐसे में यह समझ से परे है कि हिंदू बच्चों को वहां कैसे और क्यों प्रवेश दिया जाता है।

NHRC ने मांगी रिपोर्ट, कानूनगो बोले-सरकार बंद करें ग्रांट

एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिन्दू बच्चों को 27 अवैध मदरसों में दाखिला देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये मदरसे मुरैना, इसलामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिन्दू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, जो किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन है।

सरकार ग्रांट देना तुरंत बंद कर दें

प्रियांक कानूनगो ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछली कई वर्षों से समस्या चल रही है। मध्य प्रदेश में मदरसा संचालक हिंदू बच्चों को प्रवेश देते है और कुरान पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा केंद्र नहीं है। यह धार्मिक परंपरा सीखाने के केंद्र हैं। राज्य सरकारों को मदरसों को ग्रांट देने का काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह सरकार का काम नहीं है।

शिकायतकर्ता का आरोप

एनएचआरसी को 26 सितंबर को भेजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में स्थित ये मदरसे, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन करते हुए, बिना उचित सरकारी अनुमति के हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं।

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और 16 अगस्त 2024 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है, जिसमें गैर-इस्लामी बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोक दिया गया है।

इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया कि इस रैकेट का अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकता है।

The Sootr

एमपी के मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, NHRC ने एमपी सरकार से मांगा जवाब

https://thesootr.com/state/madhya-pradesh/madhya-pradesh-madarsas-religious-conversion-allegations-10515072

मध्य प्रदेश में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक शिकायत में कहा गया है कि राज्य के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंची है। इसके बाद आयोग ने तत्काल कदम उठाए हैं और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

27 मदरसों पर धर्मांतरण के आरोप

एमपी में मदरसों में पढ़ रहें हिंदू बच्चें को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के कथित धर्मांतरण का आरोप सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, इन बच्चों को धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। NHRC ने शिकायत के बाद तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया एक्शन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कदम उठाए। आयोग ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगते हुए कहा कि वह 15 दिनों के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। NHRC ने यह सवाल भी उठाया कि गैर-मुस्लिम बच्चों को बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ाया जा रहा था? इस घटना के बाद राज्य सरकार पर मदरसों के संचालन और गैर-मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है।

एमपी सरकार पर बढ़ रहा दवाब

इस मामले ने मदरसों के संचालन और गैर-मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार पर अब यह दबाव बन रहा है कि वह मदरसों के कामकाज को लेकर सख्त कदम उठाए, ताकि गैर-मुस्लिम बच्चों के साथ कोई धार्मिक दबाव न हो। हालांकि, अभी मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड की ओर से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है।

Hindustan Times

Hoshiarpur LPG tanker blast: NHRC notice to Punjab govt on status of probe

https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/hoshiarpur-lpg-tanker-blast-nhrc-notice-to-punjab-govt-on-status-of-probe-101759227733579-amp.html

By Harpreet Kaur | Published on: Sept 30, 2025 03:52 pm IST

Probe into August 22 incident that claimed seven lives incomplete, while assessment of damage to property yet to be carried out more than a month after the tragedy.

Taking suo motu cognizance of the report published in Hindustan Times about the delay in the investigation of the LPG tanker blast at Hoshiarpur's Mandiala village that claimed seven lives and damaged property on August 22, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notices to the Punjab chief secretary, chief controller of explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), ministry of commerce and industry, and the senior superintendent of police, calling for a detailed report, including the status of investigation, within two weeks.

The NHRC has observed that the contents of the report raised serious issues of violation of human rights of the victims. The report had mentioned that the inquiries into the incident were still incomplete and assessment of the damage to the property has still not been done even after a month of the tragedy when the blast victims and their families were struggling to resurrect their lives.

The incident had occurred on the night of August 22 when an LPG tanker collided with a pickup truck and triggered a blast that engulfed shops and houses. Two persons had died on the spot, while five others succumbed later. Sixteen persons had sustained burns.

A magisterial probe was ordered but it could not make any headway as the PESO authorities, whose involvement was necessary for the probe, had not responded.

The police arrested some persons who were set to pilfer gas from the tanker had it not caught fire, but the probe whether the gas agency staff or contractors were also involved in the racket is still underway. The blast had taken place about half a kilometre from the LPG bottling plant of Hindustan Petroleum Corporation Limited. The tanker, which was coming from Bathinda, instead of going to the bottling plant, had turned towards the location where the police later claimed, LPG was often stolen and filled in cylinders for black-marketing.

Dainik Bhaskar

होशियारपुर टैंकर ब्लास्ट, NHRC ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब:मुआवजा न मिलने पर कार्रवाई; धमाके में मारे गए थे 8 लोग

https://www.bhaskar.com/local/punjab/hoshiarpur/news/hoshiarpur-tanker-blast-nhrc-seeks-response-from-punjab-government-136053562.html

होशियारपुर 7 घंटे पहले

होशियारपुर जिले के मंडियाला में 22 अगस्त की रात सब्जी से भरा पिकअप LPG टैंकर से टकरा गया। जिसमें ब्लास्ट होने के बाद करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले में दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। ये नोटिस जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, उनके मुआवजा को लेकर जारी किया गया है। क्योंकि फिलहाल पीड़ितों को मामले में मुआवजा नहीं मिला है।

पढ़ें क्या था पूरा मामला

होशियारपुर में 22 अगस्त की देर रात सब्जी से भरे पिकअप की टक्कर से LPG टैंकर में हुए ब्लास्ट में महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट के बाद करीब 200 मीटर के दायरे में आती लगभग 25 दुकानों और 10 घरों को नुकसान हुआ था।

कई घरों की छतें गिर गईं थीं और कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। हादसे के बाद तुरंत सभी को आसपास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिसमें एकाएक कर करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 18 से 20 लोग जख्मी हुए थे।

Janta Se Rishta

NHRC ने होशियारपुर टैंकर विस्फोट पीड़ितों को देरी से मिली राहत पर रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/local/punjab/nhrc-seeks-report-on-delayed-relief-to-hoshiarpur-tanker-blast-victims-4293759

Payal30 Sept 2025 12:27 PM

Punjab.पंजाब: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया है कि पिछले महीने पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गाँव में हुए एलपीजी टैंकर विस्फोट के पीड़ित अभी भी अपने घरों और दुकानों के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि इस त्रासदी में सात लोगों की जान चली गई और 15 घायल हो गए। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को नोटिस जारी किए हैं।

एनएचआरसी के एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें घटना की चल रही जाँच की स्थिति भी शामिल है।" यह विस्फोट तब हुआ जब होशियारपुर-जालंधर मार्ग पर मंडियाला अड्डा के पास एक एलपीजी टैंकर एक पिकअप वाहन से टकरा गया। पुलिस ने कहा कि टैंकर राम नगर ढेहा लिंक रोड की ओर मुड़ रहा था, तभी उसकी पिकअप से टक्कर हो गई, जिससे यह घातक विस्फोट हुआ।

Daily Post Punjab

NHRC ਨੇ LPG ਟੈਂਕਰ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

https://dailypost.in/news/latest-news/nhrc-takes-cognizance/

Sep 30, 2025 9:41 am

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟੈਂਕਰ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ NHRC ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਵਣਜ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਮੰਡਿਆਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

dtnext

NHRC takes suo motu cognisance of cleanliness workers' death in Tiruchy

The incident occurred on September 22, 2025, near Carmel Garden in the Muthunagar area of Tiruverumbur;

https://www.dtnext.in/amp/news/tamilnadu/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-cleanliness-workers-death-in-tiruchy-848143

Author: Agencies | Update:2025-09-30 09:10 IST

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of media reports about the tragic deaths of two cleanlinessworkers due to asphyxiation while working on an underground drainage pipeline in Tiruchy district, Tamil Nadu.

The incident occurred on September 22, 2025, near Carmel Garden in the Muthunagar area of Tiruverumbur. The deceased were identified as Prabhu (32) of Chinna Salem and Ravi (38) of Tiruvappur in Pudukkottai. Both had been engaged by a construction firm for work on behalf of the Tiruchy Corporation.

According to reports, Prabhu first entered the manhole to clear a blockage but collapsed due to suffocation. Ravi entered immediately in an attempt to rescue him, but he too suffocated to death.

The NHRC has issued notices to the Commissioner, Municipal Corporation of Tiruchy, and the Superintendent of Police, Tiruchy, seeking a detailed report within two weeks

Their bodies were later recovered by Fire and Rescue Services personnel and sent to Thuvakudi Government Hospital for post-mortem examination.

Taking note of the media report published on September 23, 2025, the NHRC observed that the deaths raise a serious issue of human rights violations.

It pointed out that it was unclear whether the workers were provided with proper safety gear before being sent into the underground system.

The Commission has issued notices to the Commissioner, Municipal Corporation of Tiruchy, and the Superintendent of Police, Tiruchirappalli, seeking a detailed report within two weeks. The report has been asked to include the status of the police investigation as well as details of any compensation provided to the families of the deceased.

The Tiruverumbur police have already registered a case and are investigating the incident, which has caused shock and tension in the locality

ANI

Andhra: Suspicious death case solved, three held for killing man in Guntur

https://www.aninews.in/news/national/general-news/andhra-suspicious-death-case-solved-three-held-for-killing-man-in-guntur20250930232918/?amp=1

ANI | Updated: Sep 30, 2025 23:29 IST

Guntur (Andhra Pradesh) [India], September 30 (ANI): Three people, including a woman, were arrested for allegedly killing her husband in Mandikonduru village of Guntur district, police said.

According to police, the case was initially reported as a suspicious death. The incident took place on September 19, when a man was found dead with his tongue protruding, raising suspicion. A post-mortem examination later confirmed that the victim had been killed by throttling and strangulation.

Acting on the lead, the police launched a scientific probe, analysing CCTV footage that captured the suspicious movement of an auto rickshaw near the scene on the night of the incident.

Investigators revealed the vehicle and identified two suspects, Venkat and SK Khasim Saida, who were found to have jointly executed the murder. The investigation further revealed that Venkat had been in an illicit relationship with the victim's wife for nearly three years.

Police said the two, along with the co-accused (the victim's wife), conspired to eliminate the husband so that she could inherit his property and live with Venkat. The accused allegedly strangled the victim and later dumped the body to make it appear like a road accident.

"Thanks to a thorough and scientific investigation, all three accused were arrested and are being further interrogated," SP Vakul Jindal said.

Further investigation is still underway. (ANI)